न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010053982017

POCSO Act/7/2019
State Government Vs. Mangal
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 7 सन 2019

मु0अ0सं0 111/2017 , सरकार बनाम मंगल
अन्तर्गत धारा : 354,504,506 भा0दं0सं0, 7/8 पोक्सो एक्ट
3(2)(i), (2)(i) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना : बाबूगढ ,जिला हापुड
मु0अ0सं0 111/2017

17.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2025 पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना । पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद की पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू0–2 पीड़िता की मुख्य परीक्षा हो चुकी है तथा अभियुक्त की तरफ से जिरह नहीं हो पायी थी । अभियुक्त बहुत ही गरीब व्यक्ति है तथा अकेला मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है । प्रार्थी/ अभियुक्त जुर्माने की राशि 2000/– रूपये का इंतजाम नहीं कर पाया था , जिस कारण मा0 न्यायालय द्वारा जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया । यदि पीडिता से जिरह नहीं हो पायी तो प्रार्थी/ अभियुक्त की काफी हकतल्फी होगी जो कि न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । अतः साक्षी पी०डब्लू0–2 को जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है ।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सख्त आपत्ति है । साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है, वाद को विलम्बित करने की नीयत से प्रार्थनापत्र दिया गया है । अतः उपरोक्त प्रार्थना खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थनापत्र साक्षी/पीड़िता पी०डब्लू०–2 को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने हेतु इस

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.07.18 15:43:54 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त जुर्माने की राशि 2000/– रूपये का इंतजाम नहीं कर पाया था , जिस कारण मा0 न्यायालय द्वारा जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया । यदि पीडिता से जिरह नहीं हो पायी तो प्रार्थी/ अभियुक्त की काफी हकतल्फी होगी । अतः साक्षी पी०डब्लू0–2 को जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है ।

यद्यपि अभियुक्त का यह आचरण अत्यन्त लापरवाही पूर्ण दर्शित होता है , परन्तु प्रकरण के गुण दोष पर प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु उक्त साक्षी पी0डब्लू–2 पीडिता से जिरह का अवसर दिया जाना व साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । विलम्ब के कारण हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हर्जे से कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है । अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2025 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2025 अंकन 2000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को साक्षी पी0डब्लू–2 पीडिता से जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है । साक्षी पी0डब्लू–2 पीडिता जिरह हेतु तलब हो । अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि 05.08.2025 को उक्त हर्जे की राशि साक्षी पी0डब्लू–2 पीडिता को प्रदान करे, तदोपरान्त साक्षी से जिरह किया जाना सुनिश्चित करे । पत्रावली साक्षी पी0डब्लू–2 पीडिता से जिरह हेतु दि0 05.08.2025 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।